



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 208 राँची, सोमवार,

10 अप्रैल, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

23 मार्च, 2023

संख्या-5/आरोप-1-139/2016-19758 (HRMS)--श्री अंगारनाथ स्वर्णकार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-207/20, गृह जिला- इलाहाबाद 'उ०प्र०'), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काण्डी, गढ़वा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2514, दिनांक 18.10.2016 के माध्यम से उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-6(मु०)/मनरेगा, दिनांक 20.08.2016 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोपों पर श्री स्वर्णकार के पत्रांक-110/वि०, दिनांक 30.01.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया तथा इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-181/स्था०, दिनांक 05.04.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसके समीक्षोपरांत इनके विरुद्ध विभागीय स्तर से आरोप पत्र पुनर्गठित किया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये-

(i) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने में विहित प्रक्रिया नहीं अपनाना।

(ii) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मार्च 2016 के अंतिम सप्ताह में वित्तीय वर्ष 2015-16 अन्तर्गत योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना ।

(iii) काण्डी प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत-सरकोनी में विभागीय निदेश के विपरीत मनरेगा अंतर्गत डोभा योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाना ।

(iv) जिला आपूर्ति शाखा, गढ़वा द्वारा आपूर्ति संबंधी कार्यों का सम्पादन तथा गोदाम के नियमित संचालन हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कांडी को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार हेतु निर्गत पत्र के आलोक में प्रभार लिये जाने की सूचना नहीं दिया जाना ।

(v) पंचम लघु सिंचाई गणना का प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा को उपलब्ध नहीं कराया जाना ।

(vi) प्रखण्ड कांडी के एक पंचायत घटहुआकला में 59 डोभा का प्रस्ताव देना ।

(vii) मनरेगा के तहत मेडिकल कीट एवं योजना पट्ट के क्रय में बिना टेंडर के लाखों रुपये की सामग्री का आपूर्ति आदेश देना, वित्तीय नियमावली का उल्लंघन, वित्तीय अनियमितता बरतना, अत्यधिक राशि का भुगतान करना एवं सरकारी राशि के गबन में संलिप्तता ।

श्री स्वर्णकार के विरुद्ध गठित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-5662(hrms), दिनांक 05.06.2020 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-385, दिनांक 14.09.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री स्वर्णकार के विरुद्ध गठित एक भी आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया है ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-5649, दिनांक 08.09.2022 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से मंतव्य की माँग की गयी है। उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4248, दिनांक 13.12.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत् है-

“विभागीय पत्रांक-3827, दिनांक 04.11.2022 द्वारा उपायुक्त, गढ़वा से संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर मंतव्य की माँग की गयी, जिसके संदर्भ में उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-531, दिनांक 12.11.2022 के माध्यम से विभाग को अपना मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें विभागीय संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की गई है। विभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं उपायुक्त, गढ़वा के मंतव्य से सहमत होने का निर्णय लिया गया है। इस पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।”

श्री स्वर्णकार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय जाँच पदाधिकारी का प्रतिवेदन एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। अतः समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री अंगारनाथ स्वर्णकार, झां०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काण्डी, गढ़वा को आरोप मुक्त जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANGAR NATH SWRNAKAR 110091296555	श्री अंगारनाथ स्वर्णकार, झां०प्र०से० (कोटि क्रमांक-207/20, गृह जिला- इलाहाबाद 'उ०प्र०'), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काण्डी, गढ़वा को आरोप मुक्त जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अंगारनाथ स्वर्णकार, झां०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
